भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2110
20 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति

†2110. श्री टी.आर. बालू:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कारपोरेट क्षेत्र के व्यवसाय के प्रभुत्व और सरकारी सहायता की कमी के कारण कृषि, वित्त, ऋण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी संस्थाओं में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अव्यवहार्यता के कारण कितनी सहकारी समितियों/ऑर्गेनिक खण्डों को बंद कर दिया गया है; और
(ग) सरकार द्वारा देश में सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल को प्रोत्साहित करने के सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश के अनुसार सरकार, सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक संस्थानों में परिवर्तित कर उन्हें लाभार्थी और भागीदार, दोनों के तौर पर अन्य आर्थिक संस्थानों के अनुरूप लाने का कार्य कर रही है ।

भारत के संविधान के भाग IX B के अनुसार, बहुराज्य सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन, केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं; जबकि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के अनुसार, राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के तहत पंजीकृत राज्य सहकारी समितियों की स्थापना, निगमन, विनियमन और परिसमापन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों के क्षेत्राधिकार में आते हैं । अत: सहकारिता मंत्रालय में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य सहकारी समितियों की संख्या का डाटा अनुरक्षित नहीं होता है । तथापि, जहां तक बहुराज्य सहकारी समितियों का संबंध है, विगत तीन वर्षों में 27 समितियों को परिसमापन के अधीन रखा गया है ।

देश में सहकारी समितियों की स्थिति में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा अनेक पहलें की गई हैं, जैसे:

i. आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 29 जून, 2022 के आदेश के माध्यम से 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से अगले तीन वर्षों में 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को अनुमोदित किया गया । इस परियोजना में सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर में लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है ।

ii. पैक्स के लिए आदर्श उपविधियों को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और संबंधित मंत्रालयों सहित हितधारकों के साथ गहन परामर्श के पश्चात् पैक्स द्वारा उनके संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार अपनाए जाने के लिए तैयार किया गया । पैक्स की इन आदर्श उपविधियों के कारण वे डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों के निर्माण, खाद्यान्न की खरीद, उर्वरक, बीज, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसे 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप कर सकेंगे ।

iii. दिनांक 1 जून, 2022 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को गवर्मेंट इ-मार्केटिंग प्लैटफॉर्म पर बतौर 'क्रेता' पंजीकृत होने की अनुमति देने का निर्णय दिया । इससे वे देश भर में जेम पोर्टल पर पंजीकृत 40 लाख से भी अधिक विक्रेताओं से माल व सेवाओं की खरीद कर सकेंगे । इससे सहकारी समितियों को किफायती खरीद करने में सहायता मिलेगी और उनकी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।

iv. सहकारी समितियों और उसके सदस्यों की आय में वृद्धि के लिए 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है ।

v. कॉर्पोरेट के अनुरूप समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है ।

vi. सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल को गति प्रदान करने के लिए सहकारी संस्थानों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण प्रदान करने हेतु गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिनांक 3 फरवरी, 2022 के परिपत्र के द्वारा गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

vii. सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 के अपने अधिसूचना के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को एक बड़ी राहत देते हुए यह स्पष्ट किया कि उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) या राज्य परामर्श मूल्य (SAP), जो भी दशा हो, तक किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्यों का भुगतान करने पर चीनी सहकारी मिलों को अतिरिक्त आयकर नहीं चुकाना होगा ।

viii. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और प्राथमिक/ जिला सहकारी विपणन समितियों की शेयर पूंजी आधार का संशक्तिकरण, प्रसंस्करण केन्द्रों, भंडारण सुविधाओं की स्थापना, शीत श्रृंखला की स्थापना व आधुनिकीकरण, सहकारी बैंकिंग इकाइयों की स्थापना, कृषि सेवाओं, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण में सहायता, सहकारी उद्यम सहयोग और नवाचार के लिए 'युवा सहकार', स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को कवर करने वाली 'आयुष्मान सहकार', महिला सहकारी समिति की सहायता के लिए 'नंदिनी सहकार', आदि जैसे विभिन्न कार्य करता है ।

*****